न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 04/2022 बउनवानी अशोक सोनी बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा
पुत्र श्री दिनेश कुमार सोनी, दिनेश कुंज,167 के मंदिर के पास हनुमान बाग नागौर

GCMS No-2022/4 **On line Appeal No-321677990746626**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
08.02.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. तहसील कार्यालय चौथ का बरवाडा मे कृषि भूमि पर रहन नामा. दर्ज किये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों की सूचना संघारित किये गए रजिस्टर की दिनांक 1.1.2019 से 31.3.2020 तक की सत्यापित प्रतिलिपि। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रसद/531 दिनांक 2.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.7.2021 के बिन्दु संख्या 1 की कुल 121 पृष्ठो की सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक/भू.अ./2022/530 दिनांक 2.2.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना (कुल 121 पृष्ठों की) लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त सूचना, अधिनियम की तय समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात उपलब्ध करवायी गयी है इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों में वांछित सूचनाऐं अधिनियम की तय समय सीमा मे उपलब्ध करवायी जाकर प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.15 12:02:17 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर